

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज0
पीठासीन अधिकारी :- राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या 03/20

दायरा दिनांक 18.12.2020

गुलाबी उर्फ मानो पुत्री अर्जुन जाति किराड निवासी ग्राम राजपुर हाल पत्नि
ईश्वरलाल किराड निवासी ढिकवानी तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज0)
- अपीलान्ट

बनाम

1. विधा पुत्री अर्जुन जाति किराड निवासी ग्राम राजपुर हाल पत्नि नाथूलाल किराड
निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. मथुरा पुत्र जयगोविन्द जाति किराड निवासी राजपुर तहसील शाहाबाद जिला बारां
राजस्थान
3. बाबूलाल पुत्र टाको उर्फ जादों जाति किराड निवासी राजपुर तहसील शाहाबाद
-फौत
जिला बारां राजस्थान
3/1- कूंगरराज पुत्र बाबूलाल जाति किराड निवासी राजपुर तहसील शाहाबाद
जिला बारां राजस्थान
3/2- कन्हैया पुत्र बाबूलाल जाति किराड निवासी राजपुर तहसील शाहाबाद
जिला बारां राजस्थान
3/3- विन्दा पुत्री बाबूलाल पत्नि केशरी जाति किराड निवासी राजपुर हाल
निवासी नारायणखेडा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
4. बबलू पुत्र नन्दकिशोर जाति किराड निवासी राजपुर तहसील शाहाबाद जिला बारां
-लाऔलाद फौत
राजस्थान
4/1-भगवत प्रसाद पुत्र पन्नालाल जाति किराड निवासी राजपुर तहसील
शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
5. विधाबाई पुत्री नत्थू पत्नि केसरीलाल जाति किराड निवासी राजपुर हाल निवासी
किराडपहाडी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
6. ज्ञानी पुत्र शिवलाल जाति किराड निवासी राजपुर तहसील शाहाबाद जिला बारां
-फौत
राजस्थान
6/1- चम्पा पुत्र ज्ञानी जाति किराड निवासी राजपुर तहसील शाहाबाद जिला
बारां राजस्थान
6/2- वती पुत्री ज्ञानी पत्नि जगदीश जाति किराड निवासी राजपुर हाल निवासी
खिरखिरी तहसील कराहल जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
7. प्रसादी पुत्र शिवलाल जाति किराड निवासी राजपुर तहसील शाहाबाद जिला बारां
-फौत
राजस्थान
7/1- गुलाब पुत्र प्रसादी जाति किराड निवासी राजपुर तहसील शाहाबाद जिला
बारां राजस्थान
7/2- मोहन पुत्र प्रसादी जाति किराड निवासी राजपुर तहसील शाहाबाद जिला
बारां राजस्थान
7/3- जानकी पुत्री प्रसादी पत्नि सरवन जाति किराड निवासी राजपुर हाल
निवासी तिलगवां तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान



उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

- 7/4- मुन्नी पुत्री प्रसादी पत्नि नकटू जाति किराड निवासी राजपुर हाल निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
8. भमरु पुत्र कुन्जी जाति किराड निवासी राजपुर तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान -फौत
- 8/1- मदन पुत्र भमरु जाति किराड निवासी राजपुर तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 8/2- प्रेम पुत्र भमरु जाति किराड निवासी राजपुर तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 8/3- बादामी पुत्री भमरु पत्नि हजारी जाति किराड निवासी राजपुर हाल निवासी मझारी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 8/4- गुलाबी पुत्री भमरु पत्नि मथरा जाति किराड निवासी राजपुर हाल निवासी गदरेटा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
9. सरपंच गोंम पंचायत राजपुर तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान - रेसपो.

अपील विरुद्ध फौती नामान्तरण नम्बर 362 ग्राम राजपुर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत राजपुर तहसील शाहाबाद जिला बारां (राजस्थान)

निर्णय-दिनांक 12.11.2022

उपस्थित-

1. अपीलाण्ट की ओर से-श्री हेमराज नामदेव अभिभाषक
2. रेसपो. की ओर से - एकपक्षीय

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम राजपुर पटवार हल्का राजपुर तहसील शाहाबाद के खाता संख्या नई 222 पुरानी 218 में आराजी खसरा नम्बर 238/660 रकबा 12.02 बीघा किस्म डांडा, खाता संख्या नई 223 पुरानी 219 में आराजी खसरा नम्बर 238 रकबा 2.17 बीघा किस्म बरानी तृतीय तथा खाता संख्या नई 221 पुरानी 217 में आराजी खसरा नम्बर 218 रकबा 0.07 बीघा किस्म खेडा प्रथम, खसरा नम्बर 228 रकबा 0.05 बीघा किस्म खेडा प्रथम तथा खसरा नम्बर 388 रकबा 6.02 बीघा किस्म बरानी दोयम स्थित है। उक्त आराजी खाता संख्या 221 की आराजी अपीलाण्ट तथा अपीलाण्ट की सगी बहिन रेसपोडेण्ट क्रम 1 विधा के नाम संयुक्त खाता दर्ज है। खाता संख्या 222 की आराजी अपीलाण्ट, रेसपोडेण्ट क्रम 1 विधा तथा रेसपोडेण्ट क्रम 2 मथुरा के नाम संयुक्त रूप से हिस्सा 2/9, रेसपो. क्रम 3 बावलूल के नाम हिस्सा 1/9, रेसपो. क्रम 4 बवलू के नाम हिस्सा 2/9, रेसपो. क्रम 5 विधाबाई के नाम हिस्सा 1/9, रेसपो. क्रम 6 ज्ञानी व 7 प्रसादी के नाम संयुक्त रूप से हिस्सा 1/9 तथा रेसपो. क्रम 8 भमरु के नाम हिस्सा 2/9 दर्ज है तथा खाता संख्या 223 की आराजी अपीलाण्ट, रेसपोडेण्ट क्रम 1 विधा तथा रेसपोडेण्ट क्रम 2 मथुरा के नाम संयुक्त रूप से खाते दर्ज है। अपीलान्ट तथा रेसपोडेण्ट क्रम 1 सगी बहनें हैं, जो खातेदार अर्जुन पुत्र जयगोविन्द कौम किराड साकिन राजपुर की सगी पुत्रियां होकर वैधानिक वारिस एवं उत्तराधिकारी हैं, जिनके नाम प्रश्नगत फौती नामान्तरण के जरिये खातेदार अर्जुन की विरासत दर्ज की गई है, जो सही है। अपीलाण्ट का घरेलू बोलता नाम मानो है तथा रिकार्डेड नाम गुलाबी बाई है, जो अपीलाण्ट के आधारकार्ड, बैंक खाता, जन आधारकार्ड, राशनकार्ड तथा मतदाता परिचयपत्र में दर्ज है। वक्त


उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

तस्दीक प्रश्नगत फौती नामान्तरण अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के नाम की सम्पूर्ण जानकारी लिये बिना प्रश्नगत फौती नामान्तरण में अपीलान्ट का घरेलू बोलता नाम मानो दर्ज कर दिया, जबकि गुलाबी बाई अथवा गुलाबी बाई उर्फ मानो दर्ज किया जाना चाहिये था, इस कारण प्रश्नगत फौती नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट तथा रेस्पोंडेण्ट क्रम 1 का सगा कोई भाई नहीं है तथा वक्त तस्दीक प्रश्नगत फौती नामान्तरण अपीलान्ट तथा रेस्पोंडेण्ट क्रम 1 अपनी ससुराल में थीं, जिन्हे प्रश्नगत नामान्तरण तस्दीक किये जाने के पूर्व कोई सूचना नहीं दी गई और ना ही कोई पूछताछ की गई और अपने स्तर पर ही अपीलान्ट का घरेलू नाम मानो दर्ज कर प्रश्नगत नामान्तरण दर्ज कर दिया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 13.07.2020 को केसीसी बनवाने हेतु हल्का पटवारी से नकल जमाबंदी प्राप्त करने पर सर्वप्रथम प्रश्नगत नामान्तरण का ज्ञान अपीलान्ट को हुआ, ज्यों ही ज्ञान हुआ कि दिनांक 16.07.2020 को हल्का पटवारी से प्रश्नगत नामान्तरण की नकल प्राप्त की परन्तु हल्का पटवारी द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण की अधूरी तथा अस्पष्ट नकल दे दी गई, तदुपरान्त कोरोना महामारी के चलते लाकडाउन होने से अपीलान्ट प्रश्नगत नामान्तरण की स्पष्ट तथा सम्पूर्ण नकल प्राप्त करने में असमर्थ रहा। लाकडाउन में रियायत होने पर दिनांक 12.10.2020 को अपीलान्ट ने प्रश्नगत नामान्तरण की पुनः स्पष्ट तथा सम्पूर्ण नकल प्राप्त की है। इस प्रकार यह अपील अन्दर मियाद माननीय न्यायालय में पेश है। पूर्व नकल अस्पष्ट तथा अधूरी होने से एवं वैश्विक कोरोना महामारी प्रकोप के चलते लाकडाउन होने से अपील पेश किये जाने में जो विलम्ब हुआ है, वह सकारण क्षमा किये जाने योग्य है। डिले कंडोन हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम साथ संलग्न है। रेस्पोंडेण्ट क्रम 3,4,6,7 व 8 की मृत्यु हो चुकी है। रेस्पों. क्रम 3 के 3/1 लगायत 3/3, रेस्पों. क्रम 4 के लाऔलाद फौत होने से बवलू के भाई पन्ना का पुत्र होकर क्रम 4/1, रेस्पों. क्रम 6 के 6/1 व 6/2, रेस्पों. क्रम 7 के 7/1 लगायत 7/4 तथा रेस्पों. क्रम 8 के 8/1 लगायत 8/4 वैधानिक वारिसान उत्तराधिकारी हैं, जिनके विरुद्ध अपील पेश है। अतः अपील पेश कर श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत फौती नामान्तरण नम्बर 362 ग्राम राजपुर तहसील शाहाबाद को निरस्त किया जावे और अपीलान्ट का नाम मानो के स्थान पर गुलाबी बाई अथवा गुलाबी बाई उर्फ मानो दर्ज किया जाकर पुनः नामान्तरण तस्दीक किये जाने के सादर आदेश पारित फरमाये जाने की कृपा करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों. की तलबी की गई। रेस्पों. के विरुद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल नामान्तरण नंबर 362 ग्राम राजपुर के जरिये खातेदार अर्जुन की विरासत दर्ज की गई है, जो सही है। अपीलान्ट के कथनानुसार इस नामान्तरण में अपीलान्ट का नाम मानो दर्ज किया गया है, जबकि अपीलान्ट का रिकार्डेड एवं सही नाम गुलाबी है। पत्रावली में संलग्न प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत राजपुर दिनांक 16.07.20, प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत ढिकवानी दिनांक 22.07.20, अपीलान्ट का आधारकार्ड, राशनकार्ड, जन आधारकार्ड, मतदाता परिचयपत्र तथा बैंक खाता पासबुक में अपीलान्ट का नाम गुलाबी दर्ज है।


उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरण नम्बर 362 ग्राम राजपुर को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार शाहाबाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलान्ट के नाम के वास्तु भलिभांति जांच कर पुनः नामान्तरण दर्ज करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहाबाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.11.2022 को लोक अदालत में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


उपस्थित अधिकारी
शाहाबाद